एंबुलेंस का गेट नहीं खुलने से मौत का मामला

राज्य मानव अधिकार आयोग ने मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

अजमेर. राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में मरीज लेकर आई एम्बुलेंस का दरवाजा नहीं खुलने और मरीज की मृत्यु को गम्भीर माना है। उन्होंने एसपी, सीएमएचओ व जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक को प्रकरण की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को 4 जुलाई तक पेश करने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस व्यास ने पत्र में बताया कि 27 जून को राजस्थान पत्रिका में द्धएंबुलेंस का गेट लॉक, अस्पताल के बाहर मरीज ने तोडा दमद्य शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। अस्पताल के बाहर रात 12 बजे की घटना में करीब 20 मिनट तक निजी एम्बुलेंस के चालक ने वाहन का दरवाजा खोलने के लिए मशक्कत की। इसके बाद उसने मरीज को साइड के गेट से निकाला। परिजन उसे अस्पताल की आपातकालीन इकाई लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस का दरवाजे नहीं खुलने से मरीज की मौत हो गई। मृतक रामसर कुराडी निवासी प्रताप (71) था, हालांकि परिजन शव लेकर चले गए। खबर पर आयोग ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं।